न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 47/22

GCMS NO 2022/93

1. रामसहाय पुत्र चिरंजीलाल
2. रमेश पुत्र चिरंजीलाल
3. हरिप्रसाद पुत्र चिरंजीलाल
4. शांति बेवा चिरंजीलाल

अपीलांट

बनाम

1. गिर्राज प्रसाद पुत्र बजरंगा जाति महाजन
2. सरूपी बेवा बजरंगा(मृतक) (हजफ) निवासीयान पीपलदा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
3. पटवारी हल्का पीपलदा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
4. शंभू पुत्र काना (मृतक)

4/1 संध्या बेवा शंभू
4/2. राजेश पुत्र शंभू नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक मॉ संध्या बेवा शंभू बलाई
4/3. प्रकाश पुत्र शंभू नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक मॉ संध्या बेवा शंभू बलाई

5. बेरजी बेवा लक्ष्मण जाति बलाई निवासी पीपलदा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
5/1. मुकेश कुमार आसरावत पुत्र रामस्वरूप
5/2. संतोष कुमार आसरावत पुत्र रामस्वरूप
5/3. गायंत्री पत्नि रामेश्वर पुत्री रामस्वरूप
5/4. कैलाश चंद बलाई पुत्र रामनारायण
5/5. राधेश्याम पुत्र रामनारायण(मृतक)
5/5/1. प्रकाश बलाई पुत्र स्व0 राधेश्याम बलाई
5/5/2. महेन्द्र बलाई पुत्र स्व0 राधेश्याम बलाई
5/5/3. सन्तोषी देवी बेवा स्व0 राधेश्याम बलाई
5/5/4. मुकेश पुत्र स्व0 राधेश्याम बलाई निवासीयान जे.के.सीमेन्ट प्लांट झालाना बस्ती जयपुर
5/6. सावित्री पत्नि नाथूलाल
5/7. सीता देवी पत्नि रामकरण
5/8. ममता पत्नि विनोद

6. धूडया पुत्र बजरंगा जाति बलाई निवासी पीपलदा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
7. तहसीलदार बौली, सवाई माधोपुर

(अपील विरूद्व मु0नं0 14/19(158/05) निगरानी डिक्री दिनांक 27.6.22 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बौली

अभिभाषक अपीला0 श्री हिम्मत सिह
अभिभाषक रैस्पो0 श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:50:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

दिनांक 19.5.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.6.22 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलांट ने एक वाद पत्र उदघोषणा,दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादीगण ग्राम पीपलदा के अनुसूचित जाति से बलाई जाति के काश्तकार पेशा आसामी है। वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात खसरा न0 1326/10, 1327/17 कुल रकवा 3 बीघा 10 विस्वा गांव के रेगरान मोहल्ले के पास स्थित है उक्त आराजीयात पैतृक है जो वादीगण को अपने पिताजी से प्राप्त हुई है। वादीगण के पिता को उनके पिता झीता से विरासत मे प्राप्त हुई थी तथा बंटवारे मे झीता को प्राप्त हुई। वादीगण के पिता चिरंजी लाल ने उक्त आराजी के पश्चिम दिशा की तरफ चार गेह पाटोल का पुख्ता कमरा सन 1990 मे बनवाया था जो आज भी है। उक्त आराजी का सपाट खेत बना हुआ है। वादी रामसहाय उक्त आराजी मे दुपल्ला कमरा मे रहवास के काम मे अपने पिता की मृत्यु के बाद से लेता चला आ रहा है तथा बाल बच्चो के साथ रहकर निवास करता चला आ रहा है। उक्त आराजी के चारो तरफ बाड खिची हुई है खेत की सीमा मे पूर्व दिशा मे पानी की नाली पश्चिम मे सरकारी भूमि उत्तर मे बदरी रावत का खेत एवं दक्षिण दिशा मे आबादी रेगरान है। वादीगण को अपनी उक्त आराजी पर दिनांक 1.12.05 को सरसो की फसल की रखवाली करने गया तो प्रतिवादी न0 1 व 2 ने लाठी लेकर वादीगण के खेत पर आ गये तथा खेत से भागने के लिए कहॉ, तथा लठठ के जोर से छीनने की धमकी दी गई तथा दुपल्ले का तोडने की धमकी दी तथा कहा कि मैने तुम्हारे खेत मे मेरे अलोटशुदा आराजी ख0न0 1326/6 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा की तरमीम तुम्हारे कब्जे की जमीन मे करवा ली है तुमको जो कार्यवाही करनी है वह कर लो। इस जमीन पर हम कब्जा करेगे । सीमाज्ञान के समय मोतवीरान व्यक्यिो ने वादीगण के पिताजी चिरंजी लाल का उक्त आराजीयात पर 30 वर्षो से कब्जा काश्त बताया गया था। सीमाज्ञान रिपोर्ट मे पटवारी द्वारा यह भी अंकित किया कि मौके पर चिरंजी पुत्र झीता का कब्जा काश्त था उसमे 1326/6 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा की तरमीम कर दी गई है जो बजरंगा पुत्र मूल्या महाजन को आवंटन हुई थी। जो मिलीभगत से की गई है। पटवारी द्वारा की गई तरमीम नल एण्ड बोइड ,प्रभावहीन ,बेअसर शून्य घोषित किये जाने योग्य है। सेटलमेंट विकय सम्वत 2002 से 2004 तक की प्रथम सेटलमेंट मे खसरा न0 1326/6 की तरमीम अलग से दर्ज हो रही है तथा वर्तमान पटवार लठठा शीट मे [illegible] की कही भी किसी जगह तरमीम नही हो रही है। सारी तरमीम फर्जी एवं जाली है एवं राजस्व मंडल अजमेर मे मुकदमे चले थे जिसमे फैसला वादीगण के पिताजी के पक्ष मे हुआ इस प्रकार पटवारी हल्का एवं प्रतिवादी न0 1 ने भारी भरकम रकम की साठ गाठ कर वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी मे तरमीम करवा ली। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:50:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कि ग्राम पीपलदा तहसील बौली मे वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात ख0न0 1326/10, 1326/17 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा भूमि मे वादीगण के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करे तथा घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि खसरा न0 1326/10, 1326/17 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा मे पश्चिम दिशा मे लठ्ठाशीट तरमीम मे पटवारी व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा की गई गलत तरमीम को मूल लठ्ठाशीट तलब फरमाई जाकर तरमीम को नल एण्ड बोइड एवं बेअसर,प्रभावहीन घोषित फरमाई जावे तथा वादी की खातेदारी की आराजी ख0न0 1326/10, 1326/17 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा के पश्चिम दिशा की और जहॉ वादीगण का दुपल्ला मकान बना हुआ है उस जगह प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी ख0न0 1326/6 की तरमीम गलत तरीके से कर दी है जिसमे नये नम्बर 2450/6503 दिये है उसे निरस्त कर पुराने नक्शा शीट सम्वत 2004 के अनुसार जहॉ पर दर्ज तरमीम ख0न0 1326/6 की हो वहॉ दर्ज करवाने के आदेश फरमाये जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने के कारण लायके निरस्त है। अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर आई साक्ष्य का सही प्रकार से अवलोकन नही किया इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपील संख्या 12/304 , 12/305 निर्णय दिनांक 7.9.18 का राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा का रिमाण्ड का आदेश का सही प्रकार से अवलोकन नही किया मात्र सरसरी तौर पर उक्त निर्णय पारित किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने निर्णय दिनांक 7.9.18 के निर्णय मे मात्र आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी मे अपीलांट द्वारा पेश किये गये नक्शे और उसके रिबटल मे रेस्पो0 द्वारा पेश किये गये किसी भी साक्ष्य को रिकार्ड पर लेकर उक्त पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित करना था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण पत्रावली प्रतिवादीगण के अन्य दस्तावेज भी रिकार्ड पर लेकर उक्त सभी पर साक्ष्य लेकर उक्त निर्णय पारित किया है। जो लायके निरस्त तथा विधि विरूद्व है। अदालत मातेहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपील संख्या 12/304 व 12/305 की सुनवाई कर एक साथ रिमाण्ड किये जाने का निर्णय पारित किया था तथा अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 3 आया प्रतिवादीगण ने दिनांक 7.11.05 को दावा पेश करने [illegible] यह दावा पेश किया है जो धारा 10 सीपीसी से हिट होने के कारण चलने योग्य नही है [illegible] होने दावो को आपस मे कन्सोलिडेट करना चाहिए था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने गलत तनकी बनाकर धारा 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:50:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्रा...
सवाई माधोपुर

सीपीसी के प्रावधानो को गलत समझने मे अहम भूल की है। अदालत मातेहत ने गलत प्रकार से सिविल न्यायाधीन बौली द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मे आदेश को आधार बनाकर उक्त निर्णय पारित किया है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का आदेश मूल फाईनल नही होता है उक्त का मूल दावे मे उभयपक्षो की साक्ष्य ली जाकर ही अंतिम निर्णय बाध्यकारी होता है। अधिनस्थ न्यायालय ने गलत प्रकार से रिट पीटीशन 368/19 रामसहाय बनाम सरकार को आधार बनाकर अपीलांट को अतिक्रमी माना है जबकि उक्त क्रिमीनल रिवीजन माननीय उच्च न्यायालय मे लंबित है जिसमे आज तक कोई निर्णय नही हुआ है तथा फौजदारी न्यायालय का कोई भी निर्णय राजस्व न्यायालय के न्याय निर्णय हेतु बाध्यकारी नही है राजस्व न्यायालय को अपनी यहॉ पेश की गई साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे यह गलत विवेचन किया है कि किसी भी राजस्व नक्शे मे की गई तरमीम को नल एण्ड बोईड बेअसर व शून्य घोषित बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान नही है वरन राजस्व न्यायालय किसी भी तरमीम को ,रजिस्टर्ड दस्तावेज को नल एण्ड बोईड करने का अधिकार रखता है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि प्रदर्श पी 3 नक्शा मे खसरा न0 1326/6 अलग दिखाया है उक्त आराजी रेस्पो0 को आवंटन होना बताया है जिसके नये नम्बर 2450/6503 रकबा 0.32 ऐयर बने है जो प्रदर्श 10 है, जिसका नक्शा प्रदर्श 4 है अगर प्रदर्श 3 व प्रदर्श 4 का मिलान किया जावे तो दोनो नक्शे मेल नही करते है। सेटलमेंट विभाग ने खसरा न0 1326/6 के नवीन नम्बर 2450/6503 को मौके की स्थिति के विपरीत दर्शा दिया है तथा सेटलमेंट विभाग ने मौके की असल व वास्तविक स्थिति को तब्दील कर दिया है जिसका उसे कोई अधिकार नही है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर दावा विरूद्व प्रतिवादीगण/रेस्पो0 स्वीकार कर डिक्री फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 की सहखातेदारी की आराजी खसरा न0 1326/10, 1326/17 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा ग्राम पीपलदा मे 1/2 हिस्सा सभी सहखातेदारो ने आपसी सहमति से बदरी खारबाड, ईसाक तेली, फूला देवी पत्नि रेवडया,बाबू कुम्हार ,छोटू तेली ,सुभ्रती को बेचान किया गया है। जिस पर क्रेतांगण द्वारा मकान बना लिये और प्लाट बना लिये तथा इस भूमि मे 14 विस्वा भूमि नहर मे चली गई। अपींलांट द्वारा दिनांक 2.10.05 को भूमि खसरा न0 1326/6 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा पर अनाधिकृत कब्जा कर रात्रि के समय पाटौर बनाकर तारबंदी कर दी गई। प्रदर्श 1 मे उक्त भूमि बजरंगा पुत्र मूल्या के नाम बतौर खातेदार दर्ज है एवं उसी अनुसार प्रदर्श 13 के अनुसार तरमीम हो रही है। इन तथ्यो का वादी/अपीलांट ने अपने वाद पत्र मे छिपाया जाकर रेस्पो/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी की आराजीयात खसरा न0 1326/6 को हडप करने की नियत से अपनी बताकर अधिनस्थ न्यायालय मे दावा पेश किया गया था। अपीलांट द्वारा रेस्पो0 की आराजीयात खसरा न0 1326/6 पर दिनांक 29.10.05 को रात्रि मे अवैधानिक रूप से पाटोर डालकर तथा पूर्वी मेड़ को तोड़कर अतिक्रमण कर लिया गया। जिसकी जानकारी रेस्पो0 को होने पर उलाहना अपीलांट/वादीगण को दिया गया तो उनके द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:50:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

गाली गलोच की गई तथा जान से मारने एवं धारा 3 एस.सी. एस.टी.एक्ट मे मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी गई जिसके सबंध मे रेस्पो/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा थाना बौली मे एफ आई आर न0 209/05 दर्ज कराई गई जिसमे अपीलांट/वादीगण के विरूद्व चालान पेश हुआ। वादीगण/अपीलांट द्वारा रेस्पो0 के विरूद्व झूठी एफ आई आर न0 212/05 दिनांक 7.11.05 थाना बौली मे धारा 3 एस सी एस टी एक्ट मे दर्ज कराई एवं एक और एफ आई आर संख्या 228/05 दिनांक 16.12.05 को धारा 3 एस सी एस टी एक्ट के तहत दर्ज कराई गई जिसमे वाद अनुसंधान दोनो एफ आई आर अदम वकू झूठा पाये जाने के कारण एफ आर पेश की जा चुकी है। दिनांक 2.10.05 को अपीलांट/वादीगण द्वारा हम रेस्पो/प्रतिवादी की उक्त आराजी ख0न0 1326/6 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा वाके ग्राम पीपलदा पर जबरदस्ती अवैधानिक रूप से कब्जा किये जाने के पश्चात हम रेस्पो/प्रतिवादीगण द्वारा एक दावा बेदखली का किये जाने कब्जा व शास्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था। उसके पश्चात उसी आराजीयात के बाबत अपीलांट/वादी द्वारा दावा पेश किया गया जो धारा 10 सीपीसी के तहत हिट होने योग्य था। अपीलांट का यह कथन मनगढन्त एव झूठा है कि रेस्पो/प्रतिवादीगण की भूमि की तरमीम सेटलमेट द्वारा गलत रूप से अपीलांट की कब्जे शुदा आराजीयात पर कर दी गई है जबकि सत्यता यह है कि आराजी खसरा न0 1326/6 की पुरानी शीट मे भी तरमीम हो रही है तथा हाल सेटलमेंट ने भी रेस्पो/प्रतिवादीगण के कब्जे अनुसार तरमीम की है। जो पुरानी नक्शा शीट एवं हाल नक्शा शीट मे समान है। सेटलमेंट विभाग ने खसरा न0 1326/6 के हाल खसरा न0 2450/6503 बनाये है लेकिन राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही से उक्त नम्बर की तरमीम नही की गई जिसका फायदा उठाने की गरज से अपीलांट/वादीगण द्वारा हम रेस्पो/प्रतिवादीगण की आराजीयात पर कब्जा कर लिया गया है। जिसे बेदखल कराने के लिए प्रतिवादीगण/रेस्पो0 अधिकारी है। विवाद की नोईयत बाउन्ड्री डिस्पुट है तथा हाल नक्शा शीट मे तरमीम नही होने के कारण वादीगण/अपीलांट द्वारा रेस्पो/प्रतिवादीगण के खिलाफ नाजायज रूप से वाद पेश किया गया था। अपीलांट/वादीगण का दावा कुसंयोजन आफ प्रापर्टी के नुक्स होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से खारिज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 को सिद्व करने का भार वादीगण/अपीलांट पर भारित किया था जिसमे उनको सिद्व करना था कि तरमीम गलत की गई है जिसे वादी/अपीलांट सिद्व करने मे असफल रहे है। तनकी संख्या 2 का भार वादीगण/अपीलांट पर भारित किया गया था जिसमे उनको सिद्व करना था कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। इस तनकी को भी वादीगण/अपीलांट सिद्व नही कर पाये है। इस प्रकार अपीलांट/वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्व करने मे किसी भी प्रकार से सफल नही हुए है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात ख0न0 1326/10, 1326/17 मे से कुछ रकबा दी[illegible] को बेचान किया गया था जिसे वादी/अपीलांट द्वारा अपने बयानो मे स्वयं ने स्वीकार किया है जिसमे उक्त कय शुदा भूमि पर अपने मकान भी बना लिये है उनको भी वादीगण/अपीलांट द्वारा दावे मे पक्षकार नही बनाया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण साक्ष्य के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balai
Date: 2025.10.10 13:50:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

विवेचन एवं तनकीयात का विधिक रूप से विवेचन करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट का कथन रहा कि राजस्व अपील प्रधिकारी कोटा के निर्देश अनुसार आर्डर 41 रूल 27 पर साक्ष्य लेकर ही निर्णय पारित करना चाहिए था। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि विवादित आराजीयात के सबंध मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही किसी प्रकार का पारित निर्णय ही विधिक निर्णय होता है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय अनुसार ही समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यो के विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । वादीगण/अपीलांट का कथन रहा कि पटवारी हल्का द्वारा भूमि खसरा न0 1326/6 की तरमीम अपीलांट/वादीगण की आराजीयात ख0न0 1326/10, 1326/17 की जगह कर दी गई है। जबकि इस आराजीयात पर अपीलांट/वादीगण के पुख्ता पाटोर पोश बनाकर रहवास किया हुआ है। जबकि रेस्पो/प्रतिवादीगण का कथन रहा कि पटवारी ने कोई गलत तरमीम नही की है। जो पुरानी नक्शा शीट एवं हाल नक्शा शीट मे समान है। सेटलमेंट विभाग ने खसरा न0 1326/6 के हाल खसरा न0 2450/6503 बनाये है लेकिन राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही से उक्त नम्बर की तरमीम नही की गई जिसका फायदा उठाने की गरज से अपीलांट/वादीगण द्वारा हम रेस्पो/प्रतिवादीगण की आराजीयात पर कब्जा कर लिया गया है तथा रात्रि के समय नाजायज रूप से आराजीयात पर पाटोर पोश बनाने पर मना करने के कारण आपसी विवाद होने पर थाना बौली मे एफ आई आर संख्या 209/05 दर्ज कराने पर वादीगण/अपीलांट के विरूद्व चालान पेश किया गया है। अपीलांट/वादीगण द्वारा भी रेस्पो/प्रतिवादीगण के खिलाफ धारा 3 एस सी/एस टी एक्ट के तहत एफआईआर संख्या 212/05 एवं 228/05 दर्ज कराई गई जिसमे दोनो एफ आई आर अदम बकू मे झूठी पाई जाने पर एफ आर दी गई है। इसी प्रकार अपीलांट का कथन रहा कि विवादित भूमि पर बनी पाटौर अर्सा करीब 30 वर्ष पुरानी है जो पूर्णतया झूठी है क्योकि माननीय सिविल न्यायाधीश (क,ख) बौली द्वारा नियुक्त मौका कमिश्नर दिनांक 6.1.06 द्वारा दिनांक 9.1.06 से होती है जिसमे स्पष्ट मौका कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट उल्लेख किया है कि मौके पर बनी हुई पाटोर पोश का निर्माण नया निर्माण है। रेस्पो0 अधिवक्ता के उक्त कथनो हम सहमत है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को आर्डर 41 रूल 27 सीपीसी के प्रार्थना के जरिये प्रस्तुत दस्तावेजो के संबंध मे साक्ष्य ली जाकर निर्णय पारित करना [illegible]। जो उनके द्वारा अपील प्राधिकारी के आदेश की पालना नही किया जाकर वादी एवं प्र[illegible] की सम्पूर्ण सक्ष्य लेकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट के इस कथन [illegible] मे यह स्पष्ट है कि किसी भी वाद का निर्णय तब ही सम्पूर्ण निर्णय होता है जब वादी ए[illegible]तिवादीगण की सम्पूर्ण साक्ष्य लेकर किया गया हो। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के तहत ही वादीगण एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:30:05 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली जाकर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट/वादीगण द्वारा पटवारी हल्का द्वारा की गई तरमीम को प्रभावशून्य,बेअसर नल एण्ड बोईड कराने की प्रार्थना की गई थी। जबकि कानूनन राजस्व न्यायालय को तरमीम को सिर्फ दुरूस्त अथवा शुद्व करने का अधिकार प्राप्त है, तरमीम को नल एण्ड बाईड करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानो के तहत ही पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, बौली के मु0नं0 14/19 (158/05) मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.6.2022 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.5.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:50:05 IST
Reason: SelfAttested